राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9723/2024

लक्ष्मण चारण पुत्र मांगीलाल चारण, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी चारण बस्ती रावतभाटा, थाना रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़। (वर्तमान में जिला जेल चित्तौड़गढ़ में बंद) -----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य पी.पी. के माध्यम से

2. सुश्री आरती पुत्री बंशीलाल भील, निवासी दूधितलाई, थाना जावड़ा, जिला चित्तौड़गढ़। ----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री जगतवीर सिंह देवड़ा।

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री श्रवण सिंह, पी.पी.

श्री बी.पी.एस. भारत, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रकाश सोनी

आदेश

21/08/2024

1. दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "संहिता") की धारा 439 के तहत दायर इस जमानत याचिका में की गई प्रार्थना भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 376(2)(एफ), पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/6 और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू), 3(2)(वी) के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में पुलिस स्टेशन जावदा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 34/2024 के अनुसार पंजीकृत अपराध के संबंध में जमानत प्रदान करने के लिए है।

2. पूरे मामले को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए मैं एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो यह है कि 20.06.2024 को शाम करीब 5:45 बजे पीड़िता कुमारी "ए" उम्र 11 वर्ष अपनी माँ के साथ थाने में उपस्थित हुई और मौखिक रूप से बताया कि उस दिन सुबह करीब 10:00 बजे याचिकाकर्ता लक्ष्मण उसके घर तिरपाल बेचने आया था। वह पहले भी उनके घर आ चुका था। इस दिन उसके पिता और लक्ष्मण ने साथ बैठकर शराब पी। शराब पीने के बाद उसके पिता सो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने पीड़िता को 10 रुपए दिए और उसे पास की दुकान से गुटखा का पाउच खरीदने को कहा। वापस आते समय जब वह बाथरूम के पास पहुँची तो लक्ष्मण उसके पास आया और उसे जबरन पकड़कर बाथरूम में ले गया। उसने उसकी सलवार खोली और उसे बाथरूम में लिटा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता अपने हाथ-पैर पटकने लगी तो लक्ष्मण ने उसे अपने कब्जे से छुड़ा लिया। वह तुरंत भाग गई और अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। फिर उसकी मां ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी और जब उसके पिता बाथरूम की ओर गए तो लक्ष्मण खेत की ओर भाग गया। मुकदमे के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं।

3. सबसे पहले याचिकाकर्ता के वकील श्री जगतवीर सिंह देवड़ा ने जोरदार तरीके से तर्क दिया है कि पीड़िता ने शुरू में सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिए गए अपने बयानों में बलात्कार की कथित घटना से पूरी तरह इनकार किया था, लेकिन बाद में उसने अपना रुख बदल दिया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयानों में अपने साथ हुई बलात्कार की घटना का वर्णन किया। इसलिए उसके बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, पीड़िता और उसके माता-पिता ने याचिकाकर्ता के साथ समझौता कर लिया है। याचिकाकर्ता के वकील ने इस समझौते को अदालत के ध्यान में लाया है। आगे तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए पूरे आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार हैं। उपरोक्त दलीलों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने इस आधार पर याचिकाकर्ता को इस स्तर पर जमानत पर रिहा करने का विरोध किया है कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए अपने बयान में घटना की स्पष्ट पुष्टि की है। आगे यह तर्क दिया गया कि उसके द्वारा किए गए कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, याचिकाकर्ता किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। ऐसे मामले में तथाकथित समझौता कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, वह याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने की मांग करता है।

5. इस न्यायालय ने रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और साथ ही पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर भी विचार किया है।

6. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर गहन विचार करने और अभिलेखों की जांच करने के बाद, मैं स्पष्ट रूप से इस मत पर हूं कि नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार

से जुड़े मामले में, पीड़ित लड़की और उसके माता-पिता के साथ अभियुक्त द्वारा किए गए समझौते का कोई कानूनी महत्व नहीं है और इसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। इसके पीछे विचार यह है कि कानून यह मानता है कि नाबालिग कमजोर होते हैं और उनमें अपने बारे में पूरी जानकारी के साथ निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में, राज्य बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करता है, यह मानते हुए कि नाबालिग समझौते के निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है और परिवार वित्तीय प्रोत्साहनों से प्रभावित हो सकता है। ऐसे समझौते अक्सर वास्तविक समझौते के बजाय जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव को दर्शाते हैं। अन्यथा, ऐसी लड़की के अभिभावक, जो ऐसे जघन्य अपराध की शिकार है, अभियुक्त के साथ समझौता करने के लिए क्यों सहमत होंगे। राज्य का कर्तव्य है कि वह किसी भी निजी समझौते या समझौते की परवाह किए बिना ऐसे अपराधों पर पूरी कठोरता से मुकदमा चलाए। कानूनी कार्यवाही को प्रभावित करने के लिए समझौते की अनुमति देना संभावित रूप से इसी तरह के अपराधों को बढ़ावा देगा। पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा और अपराधियों की जवाबदेही को किसी भी निजी समझौते से ऊपर रखना है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क मान्य नहीं है और कानून द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है कि मामले में पीड़िता के माता-पिता द्वारा समझौता किया गया है।

7. याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रथम दृष्टया सामग्री को देखते हुए, मेरा मानना है कि इस मामले में आरोप की प्रकृति और गंभीरता, याचिकाकर्ता को दी गई भूमिका और याचिकाकर्ता के खिलाफ स्थापित मामले को देखते हुए, याचिकाकर्ता को पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान दर्ज करने से पहले जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार नहीं पाया गया है।

8. उपरोक्त के मद्देनजर, मैं याचिकाकर्ता को नियमित जमानत दिए जाने के योग्य नहीं पाता। इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है। इसमें की गई किसी भी टिप्पणी का मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं होगा।

9. ट्रायल कोर्ट पीड़िता और उसके माता-पिता के बयान जल्द से जल्द दर्ज करने का प्रयास करेगा।

(राजेंद्र प्रकाश सोनी), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।